प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत मामलों के लिए अपेक्षाएं, प्रेस परिषद (जांच के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियमन 3 के तहत उल्लिखित हैं:-

क) औपचारिक शिकायत दर्ज करें।

ख) आक्षेपित समाचार कतरनों की मूल (प्रिंट वर्तन) या स्व-सत्यापित सुपाठ्य फोटोकॉपी और आक्षेपित समाचार का अंग्रेजी/हिंदी में स्व-सत्यापित अनुवाद प्रदान करें (कृपया ध्यान दें कि समाचार कतरनों का डाउनलोड किया गया वेब-साइट वर्तन स्वीकार्य नहीं है)।

ग) प्रेस परिषद (जांच के लिए प्रक्रिया), विनियम, 1979 के विनियमन 3 (1)(ग) के संदर्भ में उक्त समाचार सामग्री के संबंध में संपादक को आपके द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति। (स्पष्ट प्रति)

घ) प्रेस परिषद (जांच के लिए प्रक्रिया), विनियम, 1979 के नियम 3(2) के अनुसार संलग्न फार्मेट में घोषणा करें कि मामला न्यायाधीन नहीं है।

ड़.) प्रतिवादी समाचार पत्र का पूरा पता दें।

च) अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर प्रदान करें।

छ) दैनिक समाचारपत्रों के मामले में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा दो महीने और साप्ताहिक/पाक्षिक तथा मासिक समाचारपत्रों के मामले में चार महीने है। यदि शिकायत दर्ज करने में विलम्ब होता है तो विलम्ब को क्षमा करने के लिए प्रार्थना विचारार्थ की जाएगी।